

कार्यालय प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय घरौंडा (करनाल)

Notice to celebrate Anti-ragging Day Week

No. 148

दिनांक: 01-08-25

In the compliance of Secretary UGC letter no. D.O. No. 1-74/2016 (ARC) dated 22/07/2025.

महाविद्यालय के सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि महाविद्यालय में 12 अगस्त 2025 को एंटी रैगिंग दिवस मनाया जाएगा और उसके बाद 12 अगस्त से 18 अगस्त तक एंटी रैगिंग सप्ताह मनाया जाएगा। यह पहल रैगिंग के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने में यूजीसी के साधनों में से एक है। एंटी रैगिंग दिवस/सप्ताह के उत्सव के दौरान निम्नलिखित गतिविधियों में भाग लेने हेतु इच्छुक विद्यार्थी अपना नाम Dr. Suresh Sharma Assistant Professor in Hindi / Mrs. Suman Lata Assistant Professor in Sanskrit / Mrs. Geeta Assistant Professor in Economics को अपना नाम दिनांक 08 अगस्त 2025 तक लिखवा दें।

1. Slogan writing on Anti Ragging
2. Essay writing on Anti Ragging
3. Poster making on Anti Ragging
4. Logo designing on Anti Ragging

Place:- Science Block
Celebration Day:- 12 August 2025


ARC 01/08/25


Principal 01/08/2025


Suman Lata



कार्यालय प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय घरौंडा (करनाल)

Notice to celebrate Anti-ragging Day Week

No. 148

दिनांक: 01-08-2025

In the compliance of Secretary UGC letter no. D.O. No. 1-74/2016 (ARC) dated 22/07/2025.

महाविद्यालय के सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि महाविद्यालय में 12 अगस्त 2025 को एंटी रैगिंग दिवस मनाया जाएगा और उसके बाद 12 अगस्त से 18 अगस्त तक एंटी रैगिंग सप्ताह मनाया जाएगा। यह पहल रैगिंग के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने में यूजीसी के साधनों में से एक है। एंटी रैगिंग दिवस/सप्ताह के उत्सव के दौरान निम्नलिखित गतिविधियों में भाग लेने हेतु इच्छुक विद्यार्थी अपना नाम **Dr. Suresh Sharma** Assistant Professor in Hindi / **Mrs. Suman Lata** Assistant Professor in Sanskrit / **Mrs. Geeta** Assistant Professor in Economics को अपना नाम दिनांक 08 अगस्त 2025 तक लिखवा दें।

1. Slogan writing on Anti Ragging
2. Essay writing on Anti Ragging
3. Poster making on Anti Ragging
4. Logo designing on Anti Ragging

Place:- Science Block
Celebration Day:- 12 August 2025

Suresh
ARC 01/08/25

Suman
Principal 01/08/2025

Suman Lata
Principal



GPS Map Camera

Karnal, Haryana, India

G2x2+mrj, Haryana 132114, India, Karnal, Haryana
132114, India

Lat 29.549656° Long 77.002139°

02/08/2025 01:44 PM GMT +05:30

राजकीय महाविद्यालय घरौंडा (करनाल)

रिपोर्ट

एंटी रैगिंग दिवस सेलिब्रेशन

12 अगस्त 2025

राजकीय महाविद्यालय (ज्ञानपुरा) घरौंडा में यूजीसी के दिशा निर्देशानुसार 12 अगस्त से 18 अगस्त एंटी रैगिंग सप्ताह मनाया जा रहा है जिसके अंतर्गत आज महाविद्यालय में 12 अगस्त 2025 को एंटी रैगिंग दिवस मनाया गया जिसमें विद्यार्थियों ने एंटी रैगिंग विषय पर पोस्टर मेकिंग, स्लोगन राइटिंग और लोगो डिजाइनिंग प्रतियोगिताओं में भाग लिया। प्राचार्य प्रोफेसर (डॉ) सुरेंद्र कुमार नागिया ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि सभी विद्यार्थियों को रैगिंग से दूरी बनाए रखनी है और रैगिंग से संबंधित अगर कोई भी मामला सामने आता है तो तुरंत एंटी रैगिंग कमेटी को सूचित करना है। एसोसिएट प्रोफेसर श्री गुरनाम सिंह ने विद्यार्थियों को रैगिंग के दुष्परिणामों से अवगत करवाया। एंटी रैगिंग दिवस पर तीनों प्रतियोगिताओं का आयोजन एंटी रैगिंग कमेटी कन्वीनर डॉ देवेंद्र कुमार, सदस्य डॉ सुरेश शर्मा, श्रीमती सुमन लता व श्रीमती गीता के निर्देशन में किया गया। पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता में प्रथम स्थान छात्रा रश्मि, द्वितीय स्थान दीपांशु और तृतीय स्थान जस्सी चौहान ने प्राप्त किए। स्लोगन प्रतियोगिता के विजेता प्रथम स्थान छात्रा मुस्कान, द्वितीय स्थान काफी और तृतीय स्थान रश्मि ने प्राप्त किए और लोगो डिजाइनिंग में प्रथम स्थान रश्मि, द्वितीय स्थान मुस्कान एवं तृतीय स्थान दीपांशु ने प्राप्त किए। इस अवसर पर विद्यार्थियों को एंटी रैगिंग अंडरटेकिंग भरने पर भी जोर दिया।

इस कार्यक्रम में श्री गुरनाम सिंह, डॉ. देवेंद्र कुमार, डॉ सुनील शर्मा, डॉ सुरेश शर्मा, श्रीमती सुमन लता, श्रीमती गीता, डॉ रेखा जांगड़ा, श्रीमती श्वेता, श्री शुभम शर्मा, डॉ. राकेश, श्री मुकेश कुमार और श्री अतुल जैन उपस्थित रहे।


Suman Lata


Principal 12/8/25
Govt. College Gharaunda
Karnal

WARNING!
RAGGING IS A CRIME



12
AUGUST
ANTI-RAGGING
DAY

NAME → MUSKAN
ROLL No: → 1231197001
Class → B.Com Final Year

STOP

BULLYING



ANTI ~~FRAGGING~~



YOUR Fun Game Can be
Some else's PAIN .

Your
Fun Game
Can Be
Someone
'Elses'
PAIN

STOP
RAGGING

ANTI
RAGGING

Say No To
RAGGING



I AM
Sorry



IF YOU TELL
ANYONE

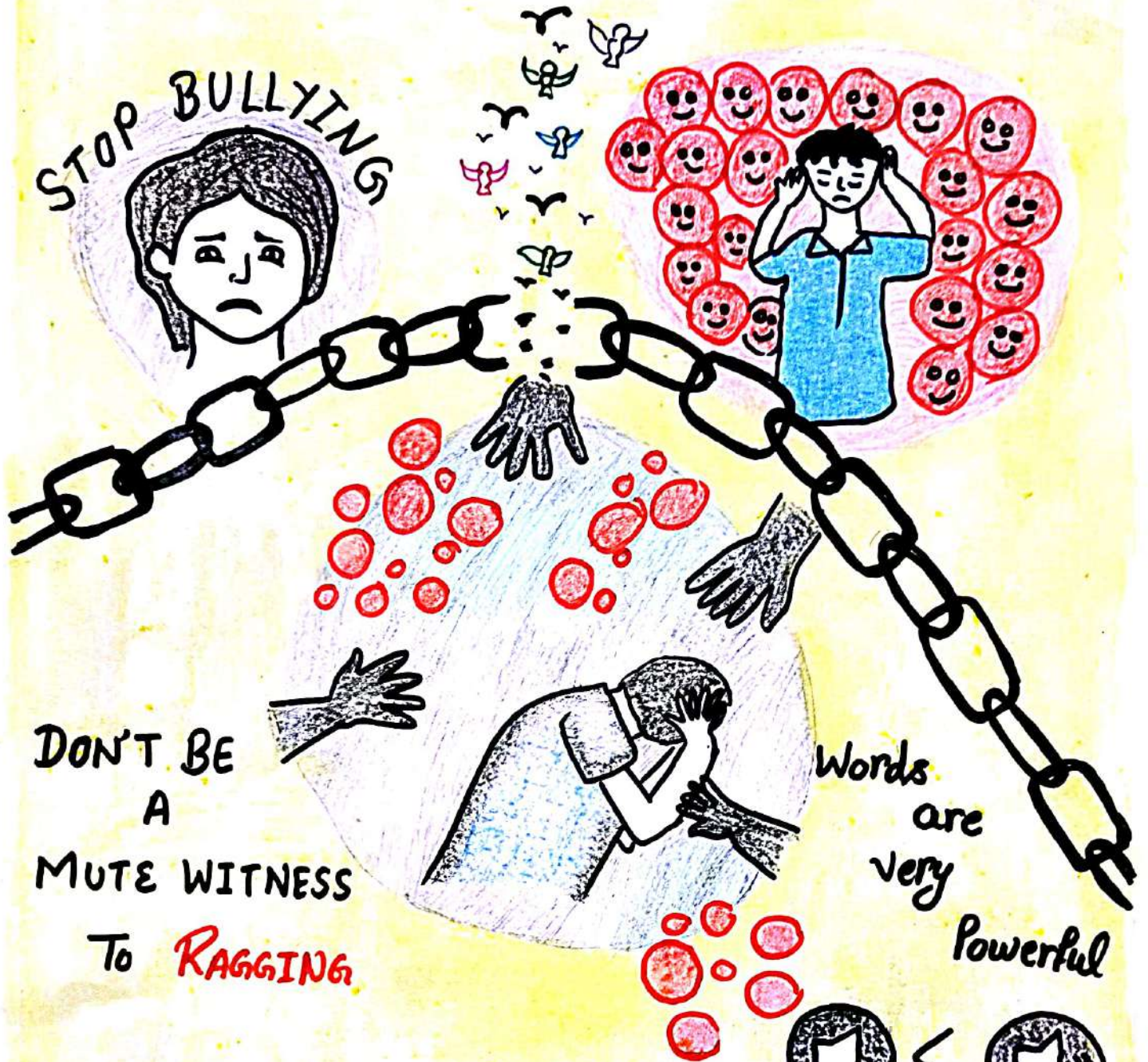
MAKE THEM
NOT LOVE
THEM HURT.....

Anti
RAGGING DAY

12 August

(B.com) 2nd year Jassi Chaudhary
10/08/19

RAGGING IS A CRIME



DON'T BE
A
MUTE WITNESS
TO **RAGGING**

Words
are
very
Powerful

Be The
Change
You Want To
See oo



DON'T
SUPPORT
But
REPORT

ANTI RAGGING



WE AGAINST
RAGGING



ANTI-RAGGING
ZONE

DO NOT

RAGGED

ANYONE

DO NOT

TOLERATE ANYONE'S
RAGGING

CALL IMMEDIATELY ANTI-RAGGING
HELPLINE 1800-180-5522

Ragging

is

Never

Necessary



DON'T LET RAAGGING

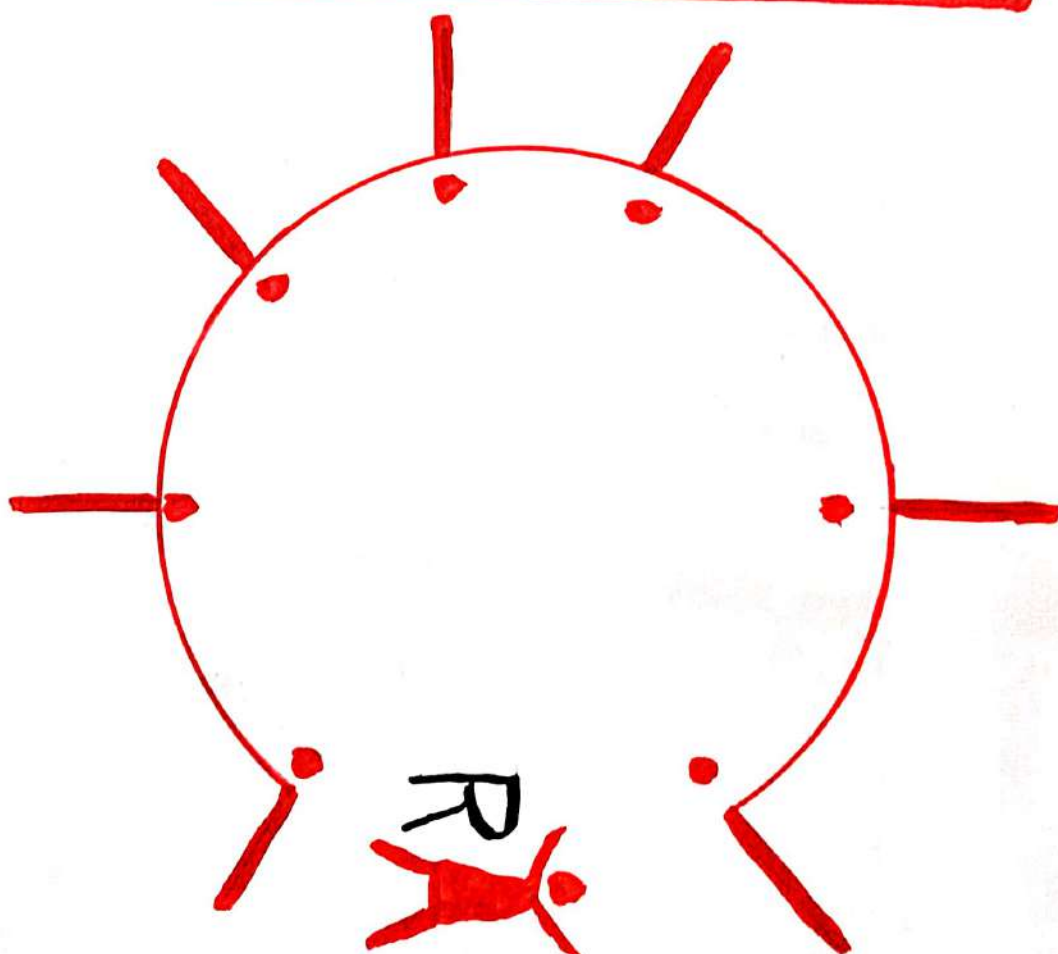
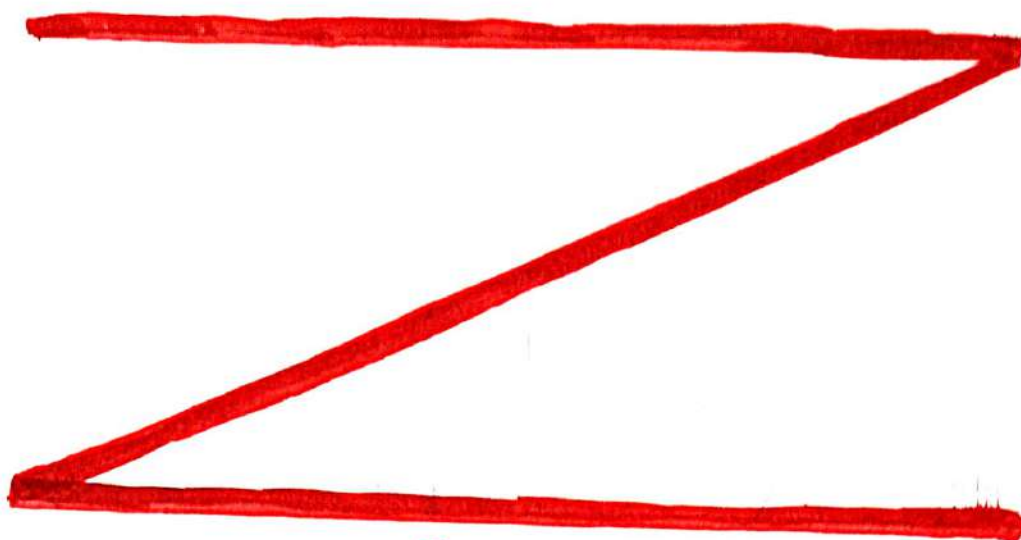
BECOME A PATH
TO DARKNESS

SAY NO

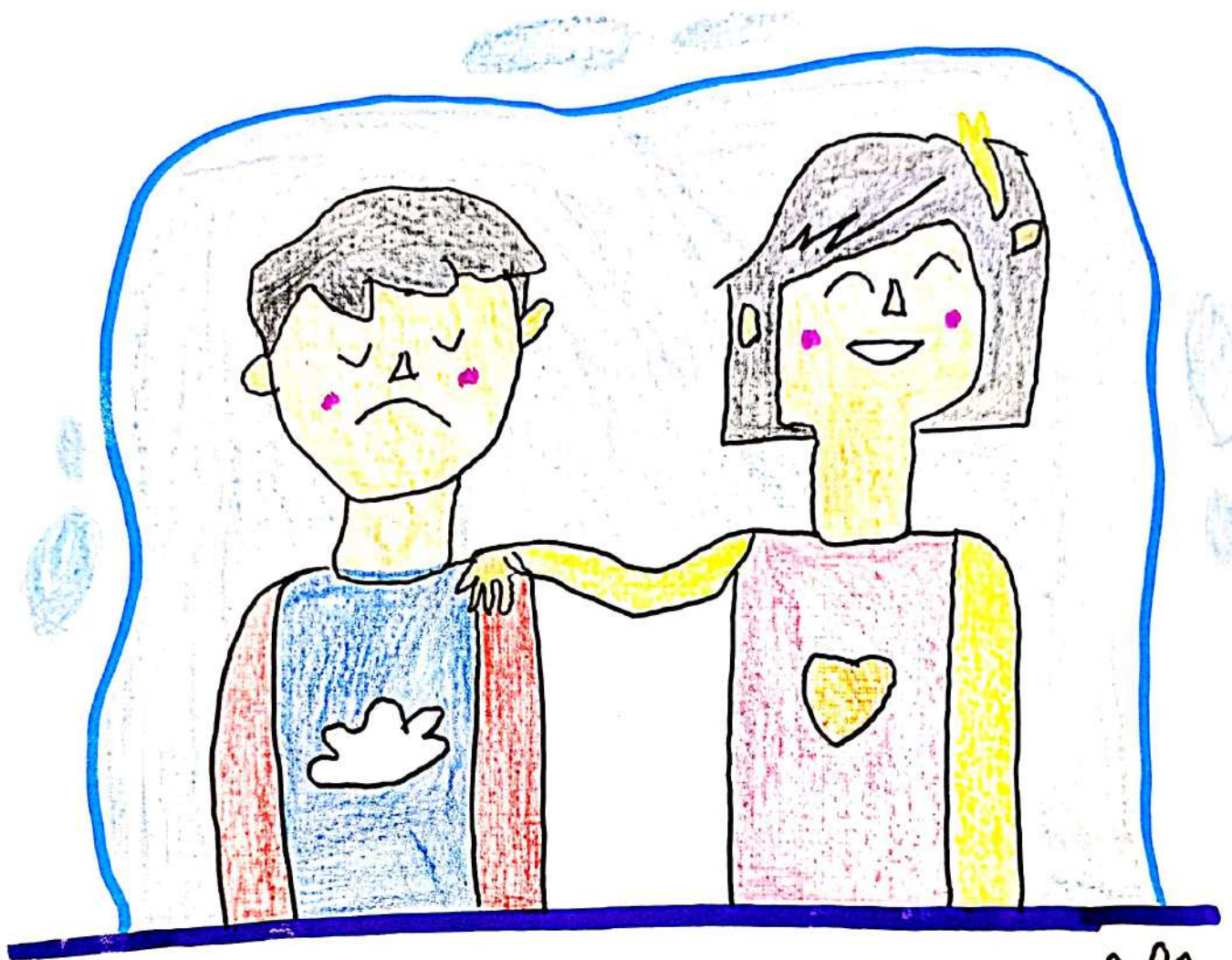
TO RAAGGING

Ragging is a Crime

Reward is Jail



RIGGING



STOP
BULLYING

NO

TO RAGGING



Yes

Ragging



No

No

रैगिंग
पूर्णतः
निषेध

Join Hands to
Make Your Campus

**RAGGING
Free**

NATIONAL ANTI-RAGGING
HELPLINE

24x7 Toll Free 1800-180-5522
Email - helpline@antiragging.in

**GOVT. COLLEGE
GHARAUNDA**

Progressing
is a crime

condemned by
the nation

RAGGING
IS A CRIME

MENT

EVERYONE

WITH HAPPINESS

TIME TO MAKE

CORRECTIONS

Be a buddy

NOT a bully

STOP. RAGGING

Stop Ragging.





→ Say No To Ragging.
→ Let's make our
college campus

'Ragging - free'

NO RAGGING

**Join Hands with us
to Prevent Ragging**

STOP TOLERATING RAGGING CONTACT TODAY

NODAL OFFICER : +91 9813227207

PRINCIPAL : +91 9416741555



TOLL FREE-1800-180-5522

TOGETHER, WE FEEL AT HOME



ANTI RAGGING
HELPLINE

1800-180-5522

24x7 FACILITY

STAY HAPPY

G.C. GHARAUNDA

POST CARD

~~RECEIVED~~

PAID 11/11

RAGGING-FREECOMPU



MAKING

STOP

RAGGING



BAGGING

IS A CRIMINAL OFFENCE

Don't "RAG"

ALSO don't be a mute
witness to

Ragging



विद्या

वंत

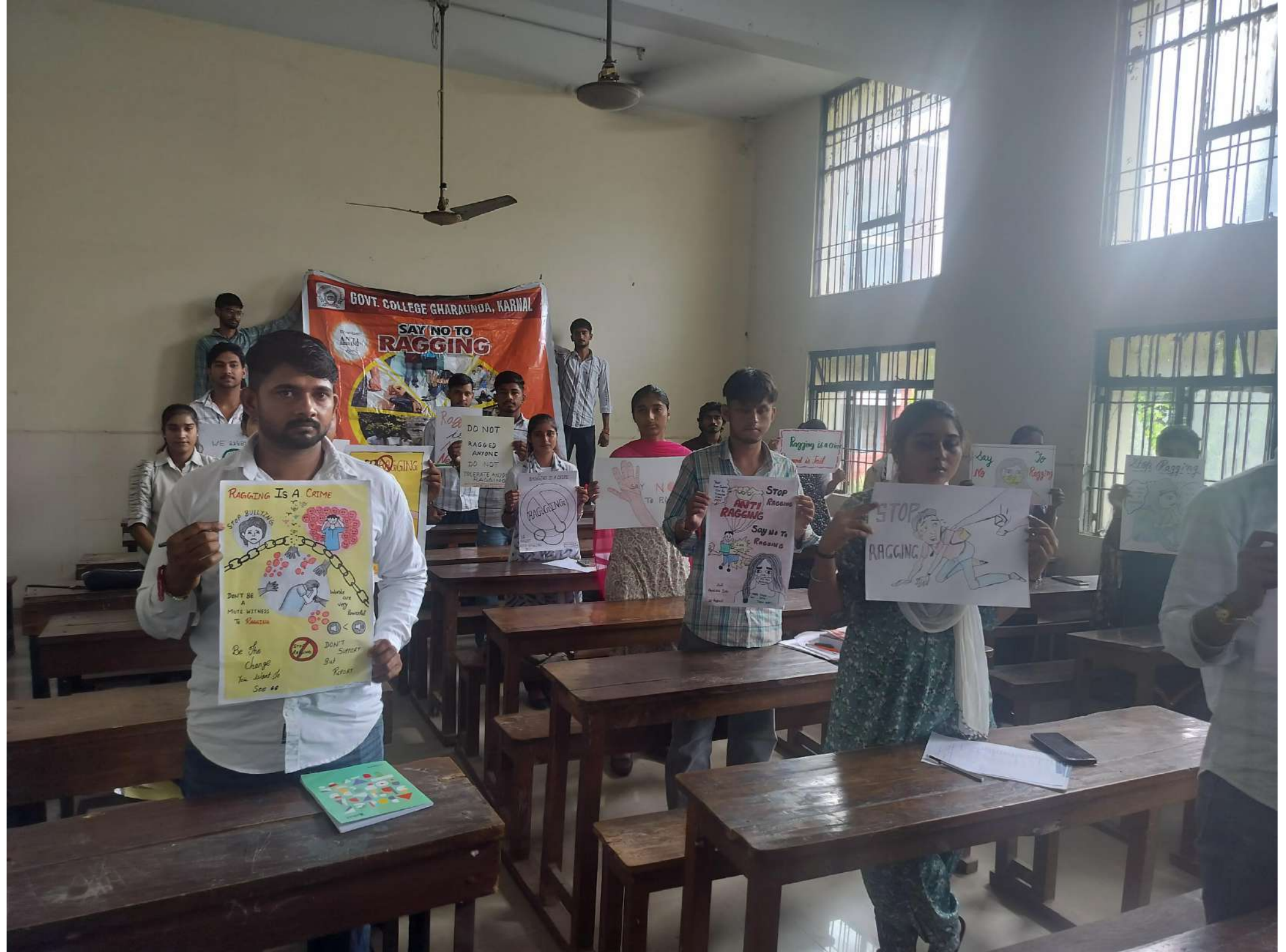
करो,

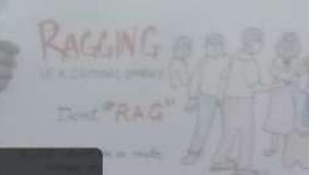
शिक्षा का अधिक

से ग्रहो ...

प्राप्त







GPS Map Camera



Google

Karnal, Haryana, India

G2x2+mrj, Haryana 132114, India, Karnal,
Haryana 132114, India

Lat 29.549224° Long 77.002337°

12/08/2025 11:11 AM GMT +05:30







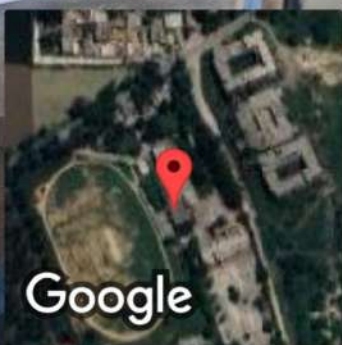
 **GPS Map Camera**

Karnal, Haryana, India

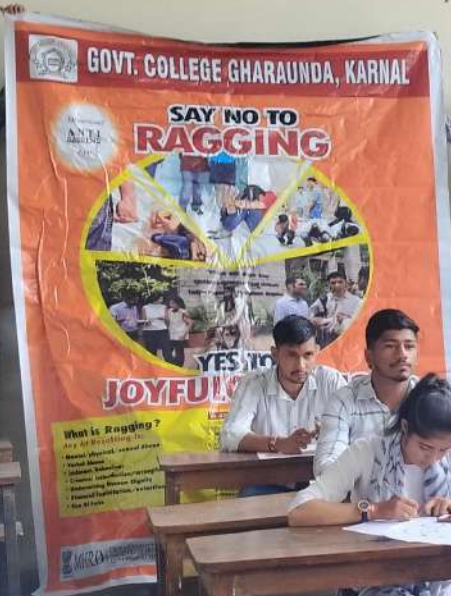
G2x2+mrj, Haryana 132114, India, Karnal, Haryana
132114, India

Lat 29.549278° Long 77.002358°

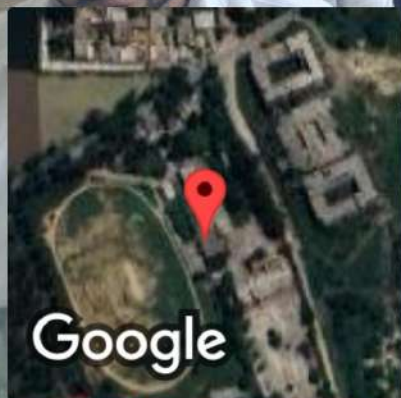
12/08/2025 11:07 AM GMT +05:30



Google



GPS Map Camera



Karnal, Haryana, India

G2x2+mrj, Haryana 132114, India, Karnal,

Haryana 132114, India

Lat 29.54928° Long 77.002358°

12/08/2025 11:07 AM GMT +05:30



GPS Map Camera



Google

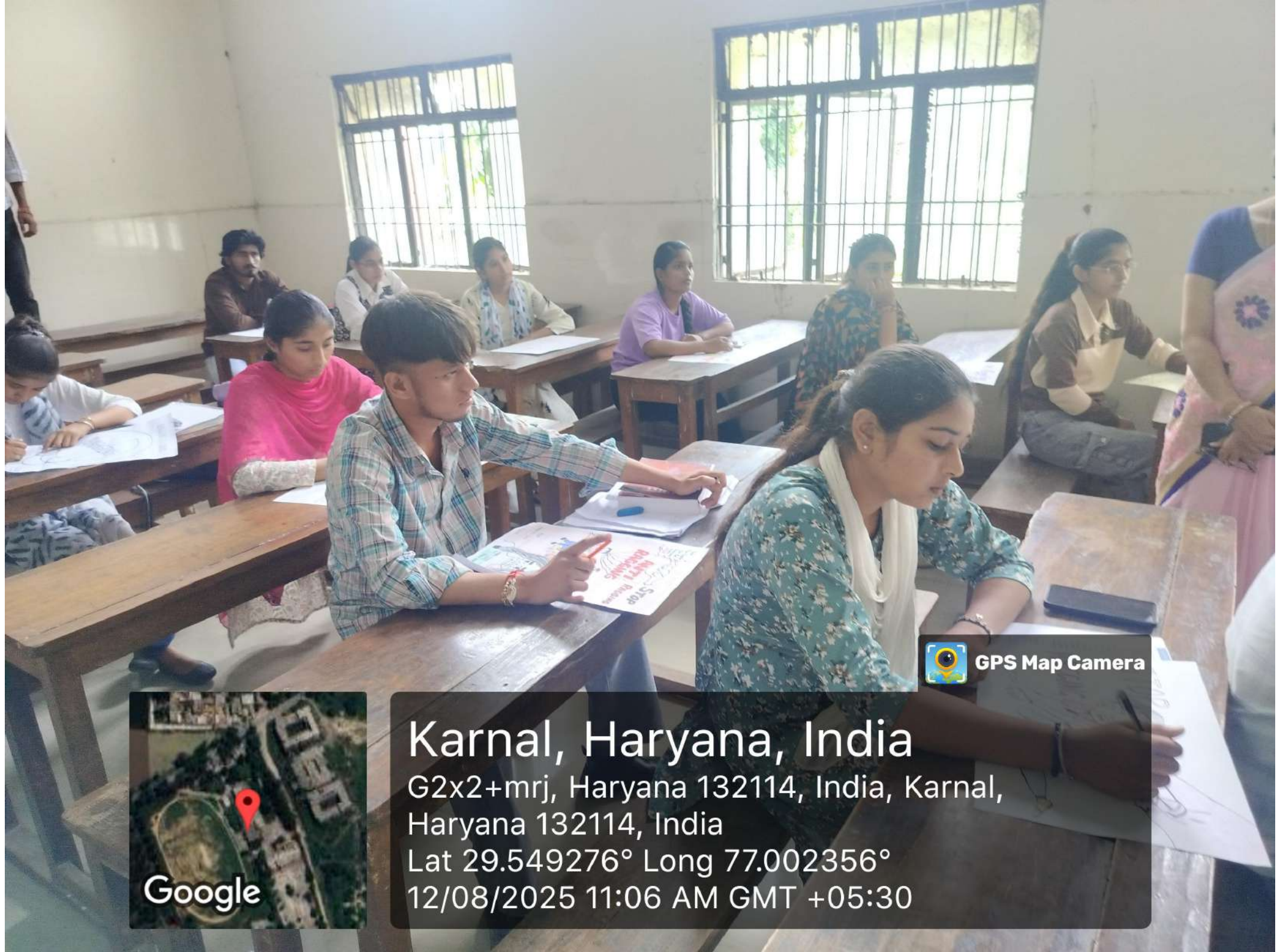
Karnal, Haryana, India

G2x2+mrj, Haryana 132114, India, Karnal,

Haryana 132114, India

Lat 29.549268° Long 77.002345°

12/08/2025 11:07 AM GMT +05:30



GPS Map Camera



Google

Karnal, Haryana, India

G2x2+mrj, Haryana 132114, India, Karnal,
Haryana 132114, India

Lat 29.549276° Long 77.002356°

12/08/2025 11:06 AM GMT +05:30



GPS Map Camera



Google

Karnal, Haryana, India

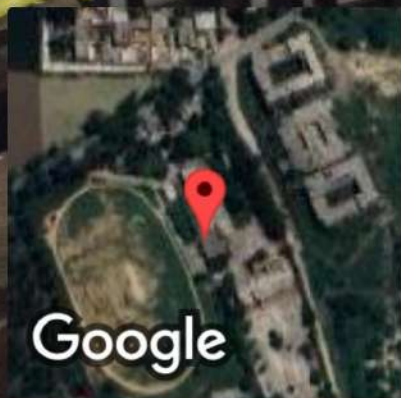
G2x2+mrj, Haryana 132114, India, Karnal,
Haryana 132114, India

Lat 29.549272° Long 77.002355°

12/08/2025 11:06 AM GMT +05:30



GPS Map Camera



Google

Karnal, Haryana, India

G2x2+mrj, Haryana 132114, India, Karnal,
Haryana 132114, India

Lat 29.549288° Long 77.002349°

12/08/2025 11:06 AM GMT +05:30



GPS Map Camera



Karnal, Haryana, India

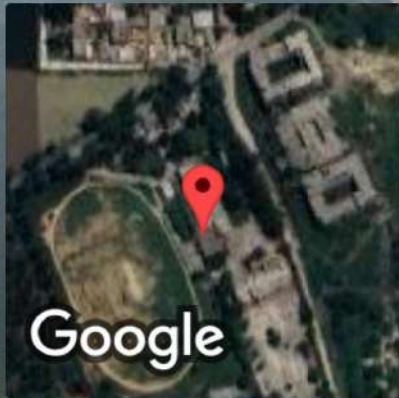
G2x2+mrj, Haryana 132114, India, Karnal,
Haryana 132114, India

Lat 29.549306° Long 77.002349°

12/08/2025 11:05 AM GMT +05:30



GPS Map Camera



Karnal, Haryana, India

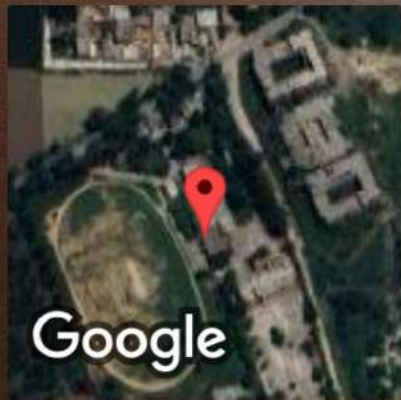
G2x2+mrj, Haryana 132114, India, Karnal,
Haryana 132114, India

Lat 29.549302° Long 77.002353°

12/08/2025 11:05 AM GMT +05:30



GPS Map Camera



Google

Karnal, Haryana, India

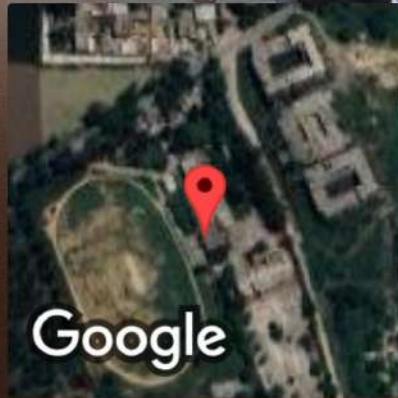
G2x2+mrj, Haryana 132114, India, Karnal,
Haryana 132114, India

Lat 29.549282° Long 77.002338°

12/08/2025 11:04 AM GMT +05:30



GPS Map Camera



Karnal, Haryana, India

G2x2+mrj, Haryana 132114, India, Karnal,

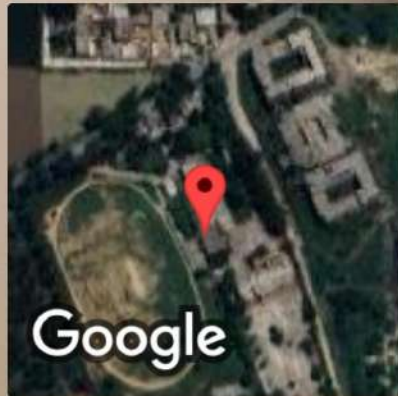
Haryana 132114, India

Lat 29.549254° Long 77.002345°

12/08/2025 11:04 AM GMT +05:30



GPS Map Camera



Google

Karnal, Haryana, India

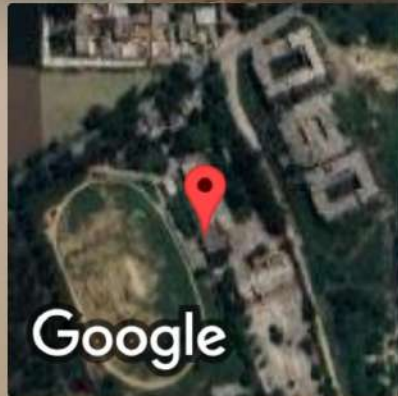
G2x2+mrj, Haryana 132114, India, Karnal,
Haryana 132114, India

Lat 29.549286° Long 77.002346°

12/08/2025 11:04 AM GMT +05:30



GPS Map Camera



Google

Karnal, Haryana, India

G2x2+mrj, Haryana 132114, India, Karnal,
Haryana 132114, India

Lat 29.549281° Long 77.002349°

12/08/2025 11:03 AM GMT +05:30

रैगिंग होने पर विद्यार्थी तुरंत कमेटी को करें सूचित : डॉ. सुरेंद्र नागिया

करनाल। घरौंडा स्थित राजकीय महाविद्यालय में मंगलवार को एंटी रैगिंग दिवस मनाया गया। एंटी रैगिंग विषय पर पोस्टर मेकिंग, स्लोगन राइटिंग और लोगो डिजाइनिंग प्रतियोगिताएं हुईं।

प्राचार्य प्रोफेसर डॉ. सुरेंद्र कुमार नागिया ने कहा कि सभी को रैगिंग से दूरी बनाकर रखनी है। रैगिंग होने पर तुरंत एंटी रैगिंग कमेटी को सूचित किया जाए। सहायक प्रोफेसर गुरनाम सिंह ने विद्यार्थियों को रैगिंग के दुष्परिणामों से अवगत करवाया।

उन्होंने कहा कि एंटी रैगिंग दिवस पर तीनों प्रतियोगिताओं का आयोजन एंटी रैगिंग कमेटी

कन्वीनर डॉ. देवेंद्र कुमार, सदस्य डॉ. सुरेश शर्मा, सुमन लता व गीता के निर्देशन में किया गया।

पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता में छात्रा रश्मि ने पहला स्थान, दीपांशु ने दूसरा और जस्सी चौहान ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। स्लोगन प्रतियोगिता में छात्रा मुस्कान ने प्रथम स्थान, काफी ने दूसरा और रश्मि ने तीसरा स्थान हासिल किया। लोगो डिजाइनिंग प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर रश्मि, दूसरा स्थान पर मुस्कान और दीपांशु तीसरे स्थान पर रहे। गुरनाम सिंह, डॉ. देवेंद्र कुमार, डॉ. सुनील शर्मा आदि मौजूद रहे। संवाद

यात्रा की तैयारियों को दिया अंतिम रूप

घरौंडा। शहर में 13 अगस्त को तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। इसकी तैयारी को अंतिम रूप दे दिया है। मंगलवार को शहर की सामाजिक, धार्मिक व अन्य संगठनों की बैठक में बताया गया घरौंडा शहर के रेलवे स्टेशन से शाम 4 बजे तिरंगा यात्रा शुरू की जाएगी। रेलवे रोड से होती हुई पक्का पुल धाम ऊंचा सामना तक पहुंचेंगी। तिरंगा यात्रा को बाइक रैली के रूप में निकाला जाएगा। इसका नेतृत्व हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण करेंगे। संवाद

एंटी रैगिंग दिवस पर विद्यार्थियों ने पेंटिंग बना दिखाई रचनात्मक प्रतिभा

भास्करन्यूज़ | घरौंडा

राजकीय महाविद्यालय घरौंडा में सोमवार को एंटी रैगिंग दिवस मनाया गया। इस दौरान पोस्टर मेकिंग, स्लोगन राइटिंग और लोगो डिजाइनिंग प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। एंटी रैगिंग सप्ताह 12 से 18 अगस्त आयोजित किया जाएगा।

प्राचार्य प्रो. डॉ. सुरेंद्र कुमार नागिया ने कहा कि सभी विद्यार्थियों को रैगिंग से दूर रहना चाहिए और यदि कोई भी रैगिंग से संबंधित मामला सामने आए तो तुरंत एंटी रैगिंग कमेटी को सूचित करना चाहिए। एसोसिएट प्रो. गुरनाम सिंह ने विद्यार्थियों को रैगिंग के दुष्परिणामों से अवगत कराया। एंटी रैगिंग कमेटी के कन्वीनर डॉ. देवेंद्र कुमार और सदस्य डॉ. सुरेश शर्मा, सुमन लता व गीता के निर्देशन में



गुरु तेग बहादुर कॉलेज में एंटी रैगिंग वीक का शुभारंभ

नीलोखेड़ी। श्री गुरु तेग बहादुर राजकीय महाविद्यालय में एंटी रैगिंग वीक का शुभारंभ किया गया। प्राचार्य चमन लाल ने बताया कि यह कार्यक्रम 18 अगस्त तक चलेगा। उन्होंने बताया कि 13 अगस्त को निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। 14 को पोस्टर मेकिंग होगी तथा 18 अगस्त को लघु फिल्म दर्शन के साथ रैगिंग वीक का समापन किया जाएगा। भाषण प्रतियोगिता में तेजस्वी ने प्रथम, तमन्ना ने द्वितीय तथा सोनिया ने तीसरा स्थान प्राप्त किया।

प्रतियोगिताएं हुईं। पोस्टर मेकिंग चौहान को मिला। स्लोगन प्रतियोगिता में प्रथम मुस्कान, द्वितीय काफी और तृतीय रश्मि रही।

Government College Gharaunda (Karnal)

Attendance Sheet

Slogan Writing Competition on Anti-ragging

Dated 12-08-2025

Sr. No.	Name of Student	Class Roll No.	Class	Signature of the student	Remarks
1	Vinay	1231197013	B. Com final	Vinay	—
2	Rashmi	1241197001	B. Comm ^{2nd}	Rashmi	III rd
3	Meenakshi	1231196049	B. A 3 rd Year	Meenakshi	—
4	Mahisha	1231196025	B. A 3 rd Year	Mahisha	—
5	KAFFI	1231196018	B. A 3 rd Year	Kaffi	Ind
6	Tannu	1231197007	B. Com final	Tannu	—
7	Rohit Raha	1231197024	B. Com final	Rohit Raha	—
8	Chetna	1231197002	B. Com final	chetna	—
9	Muskan	1231197008	B. Com final	Muskan	I st
10	Diksha	1231197015	B. Com final	Diksha	—
11	Jassi Chauhan	1241197019	B. Com ^{2nd}	Jassi	—
	ARC				
	Sumankali				
	Prachi				
	Arjun				

Seen
Suman
12/8/25

Government College Gharaunda (Karnal)

**Attendance Sheet
Poster Making Competition on Anti-ragging**

Dated 12-08-2025

Sr. No.	Name of Student	Class Roll No.	Class	Signature of the student	Remarks
1.)	Aryan	1242501005	B.Sc. Physical Science-I	Aryan	—
2.)	Jatin Rana	1242501006	B.Sc. Physical Sci. (2nd yr)	Jatin Rana	—
3.)	Sakshi	1002	B.Sc. - I Phy. Science	Sakshi	—
4.)	Gaxima	2003	B.Sc. - I life Science	Gaxima	—
5.)	Muskan	1231197001	B.Com final	Muskan	—
6.)	Vinay	1231197013	B.Com final	Vinay	—
7	Deepanshu	1231197011	B.Com final	Deepanshu	Ind
8.	Muskan	1231197001	B.Com Final	Muskan	—
9.	Chetna	1231197002	B.Com Final	Chetna	—
10.	Tannu	1231197007	B.Com Final	Tannu	—
11.	Diksha	1231197015	B.Com Final	Diksha	—
12	Kajal	1251196042	B.A	Kajal	—
13	Anamika	1251196013	B.A	Anamika	—
14	Javi	1251196041	BA	Javi	—
15	Rashmi	7001	B.Com 2nd	Rashmi	Ist
16	Jassi	7019	B.Com 2nd	Jassi	IIIrd
	ARC				
	Suman				
	but				
	Suman				

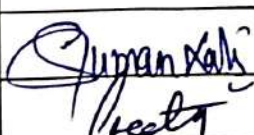
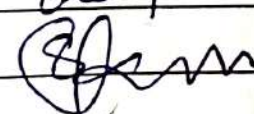
Seen
Suman
12/8/25

Government College Gharaunda (Karnal)

Attendance Sheet

Logo Designing Competition on Anti-ragging

Dated 12-08-2025

Sr. No.	Name of Student	Class Roll No.	Class	Signature of the student	Remarks
1	Rinku	6053	B.A Ist	Rinku	—
2	Deepanshu	1231197011	B.Com 3rd	Deepanshu	IIIrd
3	Shilpa	1231197011	B.2nd year	Shilpa	—
4	Ricky	2019	B.S.E 1st year	Ricky	—
5	Ayush	45	B.A Ist	Ayush	—
6	Lavi	41	B.A 2 nd	Lavi	—
7	Anamika	6013	B.A Ist	Anamika	—
8	Kajal	6047	B.A Ist	Kajal	—
9	Sakshi	1002	B.S.E Ist	Sakshi	—
10	Gaurima	2002	BSC Ist	Gaurima	—
11	Tarun	22	B.A Ist	Tarun	—
12	Ronak	1004	BSC Ist	Ronak	—
13	Rashmi	7001	B.Com 2nd	Rashmi	Ist
14	Muskan	1231197001	B.Com final	Muskan	IIInd
					
	ARC				
					
	Supriya Kati				
					
	[unclear]				

Seen
 Seema
 14/8/25

राजकीय महाविद्यालय घराँडा (करनाल)

आवश्यक सूचना

दिनांक 13 अगस्त 2025

Dean of Colleges कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र के दिशा निर्देशानुसार, महाविद्यालय के सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि वे दिए गए यूजीसी एंटी रैगिंग कॉन्फिडेंशियल यूथ सर्वे लिंक <https://www.antiragging.in/youth-survey.php> में भाग लेंगे और अपनी एंटी रैगिंग अंडरटेकिंग रेफरेंस नंबर (Anti-ragging Undertaking Reference ID जो आपको <https://www.antiragging.in/> से मिली है) ऊपर दिए गए सबमिशन लिंक पर जाकर भरने के साथ, वहां पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर देते हुए सबमिट करेंगे। इसे अति आवश्यक समझा जाए।


कन्वीनर 13/8/25

ARC






प्रचार्य 13/8/25
Principal
Govt. College Gharaunda
Karnal



13/08/2025 12:12



13/08/2025 12:12

Ragging is strictly prohibited in the college campus.

Are you being Ragged?

Immediately call UGC

Anti Ragging

**Helpline-1800-180-5522 (24x7 Toll FREE) Or Send
an E-mail to helpline@antiragging.in**

OR

Anti-ragging Committee

Govt. college Gharaunda

Contact Numbers: 9416741555 9813227207



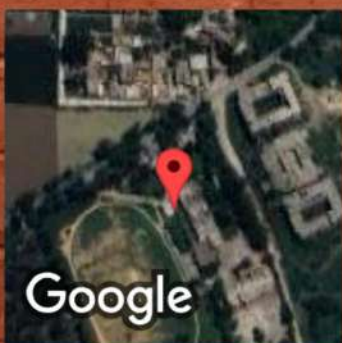
GPS Map Camera

Karnal, Haryana, India

G2x2+mrj, Haryana 132114, India, Karnal, Haryana
132114, India

Lat 29.549611° Long 77.002128°

14/08/2025 08:43 AM GMT +05:30



Google

रैगिंग होने पर विद्यार्थी तुरंत कमेटी को करें सूचित : डॉ. सुरेंद्र नागिया

करनाल। घरौंडा स्थित राजकीय महाविद्यालय में मंगलवार को एंटी रैगिंग दिवस मनाया गया। एंटी रैगिंग विषय पर पोस्टर मेकिंग, स्लोगन राइटिंग और लोगो डिजाइनिंग प्रतियोगिताएं हुईं।

प्राचार्य प्रोफेसर डॉ. सुरेंद्र कुमार नागिया ने कहा कि सभी को रैगिंग से दूरी बनाकर रखनी है। रैगिंग होने पर तुरंत एंटी रैगिंग कमेटी को सूचित किया जाए। सहायक प्रोफेसर गुरनाम सिंह ने विद्यार्थियों को रैगिंग के दुष्परिणामों से अवगत करवाया।

उन्होंने कहा कि एंटी रैगिंग दिवस पर तीनों प्रतियोगिताओं का आयोजन एंटी रैगिंग कमेटी

कन्वीनर डॉ. देवेंद्र कुमार, सदस्य डॉ. सुरेश शर्मा, सुमन लता व गीता के निर्देशन में किया गया।

पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता में छात्रा रश्मि ने पहला स्थान, दीपांशु ने दूसरा और जस्सी चौहान ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। स्लोगन प्रतियोगिता में छात्रा मुस्कान ने प्रथम स्थान, काफी ने दूसरा और रश्मि ने तीसरा स्थान हासिल किया। लोगो डिजाइनिंग प्रतियोगिता में प्रथम स्थान पर रश्मि, दूसरा स्थान पर मुस्कान और दीपांशु तीसरे स्थान पर रहे। गुरनाम सिंह, डॉ. देवेंद्र कुमार, डॉ. सुनील शर्मा आदि मौजूद रहे। संवाद

यात्रा की तैयारियों को दिया अंतिम रूप

घरौंडा। शहर में 13 अगस्त को तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। इसकी तैयारी को अंतिम रूप दे दिया है। मंगलवार को शहर की सामाजिक, धार्मिक व अन्य संगठनों की बैठक में बताया गया घरौंडा शहर के रेलवे स्टेशन से शाम 4 बजे तिरंगा यात्रा शुरू की जाएगी। रेलवे रोड से होती हुई पक्का पुल धाम ऊंचा सामना तक पहुंचेंगी। तिरंगा यात्रा को बाइक रैली के रूप में निकाला जाएगा। इसका नेतृत्व हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण करेंगे। संवाद

अमरउजाला

my city

करनाल

करनाल

सुरवार = 13.08.2025
amarujala.com/karnal

02

न्यूज़ डायरी

शिविर में बच्चों के दांतों की जांच

करनाल। भारत विकास परिषद अस्पताल की ओर से वैभव पुल के नीचे उम्मेद पाठशाला में दस बच्चों की जांच कराया गया। डॉ. एकेश सरदान और डॉ. राजा चौधरी ने बच्चों के दांतों की जांच की। दृष्टीकेंद्र दिग्गज। शिविरकर्ता ने बच्चों

सरकार ने नहीं किया भुगतान, भुगत रहे मरीज

आयुष्मान योजना में निजी अस्पतालों के लिए कुछ राशि जारी की गई, इलाज न मिलने से समस्याओं का कर रहे सामना

संवाद न्यूज एजेंसी

विजय नगरपालिका में सरकारी स्तर के बच्चे

Name → Chetna
Roll No: → 1231197002
Class → B.Com final year

रैगिंग की रोकथाम

० विशेष रूप से ध्यान देने योग्य बातें :-

१ छात्रों, पालकों तथा शिक्षकों को सावधान करना :-

रैगिंग से अनुशासनहीनता का वर्तारण होता है तथा रैगिंग की किसी भी कार्यवाही को वर्तित नहीं किया जायेगा। प्रत्येक रैगिंग की घटना का पता लगाकर संबंधित को वर्तित किया जायेगा।

२ प्रवेश के समय से अभिमान :- ऐसी रैगिंग अभिमान संस्था में प्रवेश सूचना के विज्ञापन के साथ-साथ प्रारम्भ होना चाहिए। संस्था के प्राध्यापकों, प्रवेश जानने तथा अन्य किसी भी बीस, सिन्डिकेट आदि में यह स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए कि रैगिंग वर्तित है तथा जो भी रैगिंग से वर्तित पाया उसकी विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

३ छात्रों तथा पालकों से वर्तन :- प्रवेश के आवेदन पत्रों में इस

आशय का वचन पत्र दाना होना चाहिए।
अभ्यर्थी इस तथा से वाकिफ है कि संस्था
में रैगिंग पूर्णतः प्रतिबंधित है तथा उसमें
शामिल पार जान पर वह दण्ड का भागी
होगा। इसी तरह का वचनपत्र पालक से
प्राप्त किया जाना चाहिए।

4. नये प्रवेशकों को मार्ग दर्शन → नये प्रविष्ट को
को विभिन्न समस्याओं
में मार्गदर्शन सहायता तथा जानकारी के लिए कब
किससे सम्पर्क करना चाहिए। इस आशय की
जानकारी उन्हें लीफ लैट पर संस्था द्वारा
मुद्रित कराकर दी जाये।

5. नव प्रवेशकों को विश्वास में लेकर निर्भय करना →
प्रबंध, शैक्षणिक स्टाफ, नव प्रवेशकों से व्युत्पन्न,
मिलकर उन्हें विश्वास में लेकर उनके अधिकारों
तथा रैगिंग के विरुद्ध उनके कर्तव्यों की जानकारी
देते हुए उनमें आत्मविश्वास पैदा करें।

6. संवैदकशाली स्थलों पर विशेष निगरानी → जो स्थल
रैगिंग की दृष्टि
से संवेदनशील हैं। अथवा जहाँ पहले घटनाएँ
घटित हो चुकी हैं वहाँ विशेष निगरानी रखी जाये।

7. कम्यूनिटी आवेयरनेस → पोस्टर, पैम्पलैट, नोटिस
बोर्ड तथा साइन बोर्ड
आदि के माध्यम से स्थानीय समुदाय विशेषतः द्वारा
को रैगिंग के दुष्प्रभावों से सावधान किया
जाये।

दायित्व का निर्धारण → रेगिमा को रोकने में असफलता के संबंध में यह उपधारणा की जायेगी कि संस्था के प्रबंधन, कुलपति तथा अन्य प्राधिकारियों ने अनुशासन बनाए रखने में लापरवाही की है। इसी प्रकार का उत्तर-दायित्व हास्टल के वार्डन तथा अधीक्षक पर भी निर्धारित किया जाये।

दात्रावासी में नव प्रवेशियों की सुरक्षा व्यवस्था → द्वारा आवासित दात्रावासी / अधिवासी की सावधानी पूर्वक सुरक्षा की जावे। जहाँ आवश्यकता हो सुरक्षा कर्मचारी पदस्थ किए जायें।

सामूहिक दण्ड की व्यवस्था → रेगिमा की घटनाओं में यदि कोई व्यक्ति का स्पष्ट पता नहीं चलता है तो सामूहिक दण्ड की व्यवस्था की जाये ताकि पाठशाला रेगिमा पर दबाव बनाया जा सके।

12025
Name - Meenakshi

हंटी रैगिंग

रैगिंग, वरिष्ठी द्वारा जूनियर छात्रों के उत्पीड़न और दुर्व्यवहार का एक रूप है, जो कई शैक्षणिक संस्थानों में एक गंभीर समस्या है। यह शारीरिक या मानसिक पीड़ा के रूप में प्रकट हो सकता है, जिसमें पीड़ितों में आघात, अवसाद और यहाँ तक की आत्महत्या भी हो सकती है। सुरक्षा और समावेशी शिक्षण वातावरण बनाने के लिए रैगिंग विरोध पहल अत्यंत महत्वपूर्ण है। इन पहलों में इस समस्या का समाधान करने और यह सुनिश्चित करने के लिए सख्त नियम और विनियम, जागरूकता अभियान और परामर्श सेवाएँ शामिल हैं। कि सभी छात्रों सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। रैगिंग के हानिकारक प्रभाव :- रैगिंग के व्यक्ति और संस्था दोनों के लिए गंभीर परिणाम होते हैं। मनोविज्ञान आघात :- रैगिंग के शिकार लोग अक्सर चिंता, अवसाद और अभिघातों पर तनाव विकार का अनुभव करते हैं।

शारीरिक क्षति: $\Rightarrow$ रेगिंग के कुदृष्ट माह
में शारीरिक हिंसा
भी शामिल होती है। जिसके
परिणामस्वरूप चोट आती है
और यहां तक की स्थायी
विकलांगता भी हो सकती है।
सामूहिक दण्ड $\Rightarrow$ जब रेगिंग के अपराध
को करने वाले या
इसमें सहयोग करने वाले व्यक्तियों
की पहचान नहीं हो पाती है,
तो संस्था संचालित रेगिंग करने
वालों पर सामुदायिक दबाव सुनिश्चित
करने के लिए निवारक उपाय
के रूप में सामूहिक दण्ड
की रिपोर्ट करेगी।

एंटी रेगिंग रोकने का नारा $\div$

रेगिंग बंद करो, उन्हें सुरक्षित रखो,
वरना जेल हो जाएगी।
रेगिंग करना इंसानियत नहीं है।
सम्मान, प्यार और देखभाल
इंसानियत है। इंसान बनो।

Name $\Rightarrow$ Aradhya
class $\Rightarrow$ B.com 1st year
Roll No. $\Rightarrow$

The Menace of Ragging : A Threat to Student Life

Ragging, a form of harassment and bullying has become a pervasive problem in educational institutions, particularly in India. It involves senior students intimidating, humiliating, or subjecting junior students to physical or mental abuse, often under the guise of "initiation" or "bonding". However, this so-called "tradition" has led to severe consequences, including physical harm, emotional trauma, and even loss of life.

The Impact of Ragging

Ragging can have long-lasting effects on students, including:

- **Psychological Trauma** :- Ragging can lead to anxiety, depression, and post-traumatic stress disorder (PTSD) affecting a student's mental health and well-being.

Name ⇒ Anadhya
class ⇒ B.com Ist year
Roll No. ⇒

The Menace of Ragging : A Threat to Student Life

Ragging, a form of harassment and bullying has become a pervasive problem in educational institutions. participations in India. It involves senior students intimidating, humiliating, or subjecting junior students to physical or mental abuse, often under the guise of "initiation" or "bonding". However, this so-called "tradition" has led to severe consequences, including physical harm, emotional trauma, and even loss of life.

The Impact of Ragging

Ragging can have long-lasting effects on students including.

- **Psychological Trauma** :- Ragging can lead to anxiety, depression, and post-traumatic stress disorder (PTSD) affecting a student's mental health and well-being.

- Physical Harm → Ragging can result in physical injuries, and in extreme cases, even death.
- Academic performance → Ragging can distract students from their studies, leading to poor academic performance and decreased opportunities.
- Social Isolation → Ragging can make students feel isolated, leading to decreased social interaction and a sense of belonging.

The Need for Anti-Ragging Measures

- Strict Anti-Ragging policies → Institutions should have zero-tolerance policies towards ragging, with clear consequences for perpetrators.
- Awareness Campaigns :- Institutions should conduct awareness campaigns to educate students about the dangers of ragging and promote a culture of respect and empathy.

Support Systems:- Institutions should establish support systems, such as counselling services and mentorship roles with ragging.

Monitoring and surveillance:- Institutions should monitor students activities and take against ragging incidents.

Conclusion :-

Ragging is a serious issue that requires immediate attention and action. Educational institutions, students, and parents must work together to create a safe and supportive environment.

Name - Tamanna

B. Com. First year.

Ragging, a Pervasive Problem in many educational institutions, has severe consequences for students, including physical harm, emotional trauma, and even death. To combat this issue, it is essential to implement effective anti-ragging measures that promote a safe and respectful environment for all students.

Ragging can have a profound impact on students, leading to anxiety, depression, and decreased academic performance. It can also create a culture of fear and intimidation, making it difficult for students to focus on their studies and achieve their full potential. To prevent ragging, educational institutions can take several steps: they can organize awareness programs to educate students about the danger of ragging and the importance of reporting it, and they can implement strict disciplinary measures against those who engage in ragging.

respectful and safe environment
institution can develop and
communicate clear policies and
procedure for preventing
and addressing ragging incidents.
institution can create a
safe and confidential
reporting mechanism for
students to report incidents
for ragging.
institution can impose strict
on those found guilty
of ragging, including
fines, suspension, and even
expulsion. Student should
be aware of the anti-
ragging policies and procedure
in their institution.
Student should report any
incidents of ragging to
the authorities immediately.
Students should support
their peers who may
be victims of ragging
and encourage them to
report incidents.

Anti - ragging measures are
essential for Promote a
Safe and respectful
environment in educational
institutions. Creating
awareness, clear policies
reporting

Name - Manisha

DATE

PAGE NO.

(Anti - Ragging)

Ragging, a form of harassment and violence inflicted on younger students by seniors in educational institutions, is a serious issue that needs to be addressed with utmost seriousness. It is a criminal offense and has no place in the academic environment. It negatively impacts student's physical and mental well-being, creating a hostile environment and hindering their academic progress. Anti-ragging measures, including strict rules, awareness campaigns, and robust reporting mechanisms, are crucial to eradicating this menace from campuses.

Ragging often manifests as physical or mental torture, involving activities like verbal abuse, humiliation, and even physical assault. This can lead to severe psychological trauma, depression, and even suicidal thoughts among victims. The fear and

anxiety Created by ragging can disrupt a student's academic performance and overall well-being. Furthermore, ragging can create a culture of fear and intimidation, preventing student from fully participating in campus life and hindering their personal and academic growth.

To combat ragging, educational institutions must implement a Zero - tolerance Policy. This includes establishing anti-ragging Committees, conducting awareness Programs, and creating a safe and supportive environment for all students.

Supportive environment for all student. Clear guidelines and strict Punishment for Perpetrators are essential. student should be encouraged to report any instance of ragging without fear of reprisal. Open Communication channels, Counseling Services,

Name → Manisha

Date → 12/08/2025

What is Ragging?

Ragging, in essence, is any act of misconduct, whether by spoken or written words, or by physical actions, that causes or is likely to cause annoyance, hardship, psychological harm, or fear in a junior or fresher student. It can range from verbal abuse and humiliation to physical violence and even sexual assault.

Consequences of Ragging:

Psychological Trauma: →

Ragging can lead to severe psychological distress, including anxiety, depression, and Post-traumatic stress disorder (PTSD) in victims.

Physical Injuries: →

In some cases, ragging can result in physical injuries, sometimes

requiring medical attention.

Academic Performance :-> The stress and trauma associated with ragging can negatively impact a student's academic performance and ability to focus on their studies.

Loss of life :-> Tragically, there have been instances where ragging has led to suicide or death due to the severe emotional and physical strain on the victims.

Damage to Institutional Reputation :->

Ragging incidents can tarnish the reputation of educational institution and undermine the trust of students and parents.

Power Imbalance :->

Ragging is often a manifestation of a power dynamic where senior student.

गैरजातीय सस्थानों में रेगिंग से निपटारा

चर्चा से क्यों दु

भारतीय गैरजातीय सस्थानों में लगातार रेगिंग का परेशान करने वाला मुद्दा है। जदवपुर विश्वविद्यालय में हुए एक घटना के कारण एक बार फिर राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया है।

* भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न मामलों और विशेष निवेदनों के माध्यम से इस मुद्दे के समाधान के लिये मद्दतपूर्ण कदम उठाए हैं।

भारत में रेगिंग विरोधी उपायों की वर्तमान स्थिति। रेगिंग को परित्याग करना सर्वोच्च

* न्यायालय का परिश्रम।

* वर्ष 2004 (विश्व जयन्ती रेगिंग) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने रेगिंग को एक व्यापक परिभाषा प्रदान की।

* इसी रेगिंग को किसी भी अव्यवस्थित आचरण के रूप में वर्णित किया गया है जिसमें साथी छात्रों को चिढ़ाना, उनके साथ आगे बढ़ करना, अनुशासनहीन गतिविधियाँ मिला देना, जिससे झुझलाहट या अनुरोधित नुकसान होता है या अन्यथा छात्रों के बीच इतना पैदा होता है

गर्मि देना, जिससे झुझलाहट या अनुरोधित नुकसान होता है या अन्यथा छात्रों के बीच इतना पैदा होता है

* न्यायालय ने यह भी कहा कि रैगिंग के पीछे के उद्देश्य में अक्सर पूर्णतः आनंद प्राप्त करना। यह छात्रों को कुलना में बाधुछी द्वारा शाब्दिक आचकार या सश्रुता का प्रदर्शन करना शामिल होता है।

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी मुख्य दिशा-निर्देश :

• सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों में रैगिंग को रोकने तथा उसे प्रभावित करने के लिए वैज्ञानिक साधनों की छटनाओं के अंतर प्राक्टिकल समितियों (Practical Committees) स्थापित करने के सहित्व पर जोर दिया जाता है।

• इसके अलावा इसमें रैगिंग मुद्दे पर पुनः विचार करने की सभावना पर प्रकाश डाला गया है। यदि वे आसहनीय हो जाता है।

Ind

Siddhi Goel
B.Com (1st Year)
Roll no. - _____

Ragging, a menace that has plagued educational systems and institutes for far too long, has severe consequences for students including physical harm, mental trauma and even death. It is imperative that we take collective responsibility to combat this issue and create respectful and safe environment for all students.

The Role of Educational Systems

1) Developing Clear Policies :-

Institutions must develop and communicate clear policies and procedures for preventing and addressing ragging incidents.

2) Creating Awareness :-

Institutions can organize awareness programs, workshops, campaigns etc. to educate students about the danger of ragging and importance of making safer environment.

3) Providing Support :-

Institutions must provide

support to victims of ragging including counselling and medical assistances.

Role of Students

Students also have critical role in preventing ragging by :-

1) REPORTING INCIDENTS :-

Students should report any incidents of ragging to the authorities immediately.

2) SUPPORTING PEERS :- &

Students should support their peers who may be victims of ragging and encourage them to report incidents.

3) Promoting a Positive Culture :-

Students can promote a positive culture by treating their peers with respect and kindness.

Parents can also support in preventing ragging as well as societies too.

By educating their children about the danger of Ragging and importance of treating others with respect. By creating awareness about issue of ragging and also by supporting

Anti-Ragging Initiatives

Ragging is a serious issue that requires immediate action and attention. By prioritizing students safety and well-being, we can create positive and supportive environment that fosters academic excellence and personal growth. Let us work together to combat ragging and create bright future for students.

Ind

Name :- Jassi Chauhan

Class :- B.Com. Ind Year

Roll No :- 124197019

शेडिंग कई स्कूलों व कॉलेजों में एक गंभीर मुद्दा है। इसमें वरिष्ठ छात्र अक्सर अपनी ताकत दिखाने के लिए नए छात्रों के साथ पुर्ववहार करते हैं या उन्हें धमकाते हैं, परेशान करते हैं। शेडिंग एक डरावना माहौल पैदा करती है, और इससे पीड़ित के मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ता है।

दुनिया में हर साल हजारों विद्यार्थियों को इसका सामना करना पड़ता है, और यह एक डरावना रूप ले चुका है। हर साल नया सत्र शुरू होते ही हर छोट्टे से लेकर बड़े कॉलेजों, स्कूलों में शेडिंग की गूंज सुनाई देने लगती है।

शेडिंग कई तरह से की जा सकती है, जिसमें चिढ़ाना, परेशान करना, गलत नाम लेकर पुकारने से लेकर शारीरिक शोषण तक शामिल है। यह अक्सर हॉस्टल या कंपस में होता है, जहां वरिष्ठ विद्यार्थियों को लगता कि, उन्हें जूनियर्स को नियंत्रित करने या - - -

उन पर हावी होने या रीब दिखाने का पूरा अधिकार है।

रैगिंग आज आतंक का रूप धारण कर चुका है। विद्यार्थी जितना परीक्षा से नहीं डरते, उससे ज्यादा डरते हैं रैगिंग से।

रैगिंग के परिणाम :-

रैगिंग से ज्यादा, रैगिंग के परिणाम डरावने व नुकसानदायक साबित होते हैं।

- 1.) रैगिंग के डर से कई विद्यार्थी स्कूल - कॉलेज ही छोड़ देते हैं।
- 2.) रैगिंग के डर से विद्यार्थियों के मन में हमेशा रैगिंग होने का डर बना रहता है।
- 3.) रैगिंग और इसके डर के कारण कई विद्यार्थी डिप्रेशन में चले जाते हैं। यह डर इस हद तक उन पर हावी हो जाता है कि वे किसी से दोस्ती करने से भी डरते हैं और अकेले रह जाते हैं।
- 4.) रैगिंग के डर की वजह विद्यार्थी कक्षाओं में भी नहीं लगाते जिनका असर उनकी शिक्षा पर भी पड़ता है।
- 5.) रैगिंग की वजह से कुछ लोग आत्महत्या तक कर लेते हैं। 2004 - 2010 से ही वर्षों में रैगिंग की वजह से सबसे ज्यादा आत्महत्या हुई।

रैगिंग के परिणाम इससे भी ज्यादा
डरावने हो सकते हैं। इससे भी ज्यादा
हानिकारक सीधे हो सकते हैं।

रैगिंग से निपटने के उपाय :-

- 1.) स्कूलों व कॉलेजों में सख्त सटी रैगिंग नीतियों को लागू करना चाहिए।
- 2.) शिक्षा मंत्रालय की निगरानी व समाधान के लिए समितियों का गठन करना चाहिए।
- 3.) सभी को रैगिंग के बारे में समझाना चाहिए। विद्यार्थियों को समझाना चाहिए कि रैगिंग सहना और उसके गूक साक्षी बने रहना उसका ही बड़ा अपराध है, जितना कि रैगिंग करना।
- 4.) स्कूल, कॉलेजों में इसके खिलाफ सख्त नियम लागू करने चाहिए।
- 5.) रैगिंग के खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही करनी चाहिए।
- 6.) रैगिंग के पीड़ित व इसके गवाह को तुरंत इसकी रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।
- 7.) रैगिंग के विरुद्ध सबसे पहले बगने वाला कानून PCA, 1957 है। इसे बड़ी सख्ती से अपनाया गया है।

रैगिंग के विरुद्ध उठाए गए कदम विद्यार्थियों के लिए सख्त सुरक्षित व उत्साहपूर्ण वातावरण बनाने ...

में मदद करता है।

रैगिंग एक खतरनाक व पुरानी प्रथा का रूप ले चुकी है जिसका शैक्षणिक संस्थानों में कोई स्थान नहीं है। इस खतरे को रोकने व खत्म करने के लिए कानूनी उपाय जितने जरूरी हैं, उतना ही जरूरी है सांस्कृतिक बदलाव।

रंटी - रैगिंग दिवस 12 August और Anti Ragging Week 12-18 August मनाया जाता है। जिसका उद्देश्य विद्यार्थियों को सकारात्मक व सुरक्षित वातावरण प्रदान करना है।

हमें इस पहल का समर्थन करना चाहिए और साथ ही इसे सफल बनाने का हर संभव प्रयास भी।

TODAY'S FRESHERS,
TOMMOROW'S LEADERS!

Name → Muskan
Roll No: → 1231197001
Class → B.Com 3rd year.

रैगिंग की रोकथाम

रैगिंग की रोकथाम हेतु दिशा - निर्देश →

शैक्षणिक संस्थाओं में अकादमिक गुणवत्ता में निरन्तरता एवं अभिवृद्धि के लिए यह आवश्यक है कि अकादमिक संस्थाओं का वातावरण भय एवं तनाव मुक्त रहे। शैक्षणिक संस्था प्रमुख, कुलपति, अधिकारियों, कर्मचारियों एवं छात्रों के मध्य परस्पर सहयोग और समन्वय से ही शैक्षणिक संस्थाओं अपने - अपने लक्ष्य को प्राप्त करती हैं। शैक्षणिक संस्थाओं में अवांछनीय तरीकों द्वारा कभी - कभी रैगिंग द्वारा अनावश्यक व्यवधान निर्मित कर दिया जाता है जिससे वातावरण प्रभावित होता है। रैगिंग के द्वारा कहीं भी अधिग्रहण स्थिति निर्मित न हो इसलिये पहले से ही रैगिंग जैसी अमानवीय प्रक्रिया को समाप्त करने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय, उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन द्वारा समय - समय पर जो आदेश एवं निर्देश दिये गये हैं, उनसे हम सभी को अवगत होना आवश्यक है।

शैक्षणिक संस्थाओं में रैगिंग रोकने की दिशा में उठाये गये कदम →

उच्च शिक्षा विभाग के पत्र दिनांक 23-10-1999 तथा 26 जून 2000 द्वारा रैगिंग को रोकने के संबंध में निम्नलिखित विनियमों पर कार्यवाही के निर्देश दिए गये थे →

- (1.) छात्रावासों से अनाधिकृत छात्रों का निष्कासन।
- (2.) लगातार दो वर्षों से अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रवेश निषेध।
- (3.) शैक्षणिक सत्र शुरू होते ही प्राचार्य, अभिभावक एवं शिक्षक समिति का गठन एवं उनके कार्यों का निरन्तर आकस्मिक निरीक्षण।
- (4.) शिक्षण सत्र शुरू होने से होने से पूर्व ही जिला मजिस्ट्रेट तथा जिला पुलिस अधीक्षक से प्राचार्यों का तालमेल एवं मानीटरिंग।
- (5.) शिक्षितता बरतने वाले प्राचार्यों पर कार्यवाही।
- (6.) रेन्टी रेगिंग कमेटी का गठन एवं रेगिंग प्रकरणों की नियमित मानीटरिंग।
- (7.) वार्डनों / छात्रावास अधीनस्थों की रेगिंग के संबंध में जिम्मेदारी सुनिश्चित करना।
- (8.) रेगिंग प्रकरणों की निष्पक्ष जांच हेतु स्वतंत्र लोगो की कमेटी का गठन।

→ रेगिंग दंडनीय अपराध सर्वोच्च न्यायालय के बंधनकारी निर्देश →

दिनांक 8 मई 2009 का निराकरण करते हुए रेगिंग की रोकथाम के सम्बन्ध में दिशा निर्देश जारी करते हुए शिक्षण संस्थाओं पर प्रमुख रूप से रेगिंग पर रोक लगाने की जवाबदारी निश्चित की गई थी इसी परिप्रेक्ष्य में ध्यान रखने योग्य बात निम्नानुसार है। →

- (1.) रेगिंग रोकने के लिए शिक्षण संस्थाओं में मदद करने वालों को प्रोत्साहन तथा इसकी रोकथाम में मदद न करने वालों को दण्डित करने के लिए शिक्षण संस्थाओं के स्तर पर आवश्यक कदम उठाने होंगे।
- (2.) रेगिंग जैसी दृष्ट्यवृत्ति को संस्था में कार्यरत व्यक्तियों, शिक्षा प्राप्त कर रहे सभी विद्यार्थियों तथा सम्पूर्ण समाज द्वारा माननीय मूल्यों की अवमानना के रूप में देखा जाना चाहिए।

- (3.) शिक्षण संस्थाओं में संचालन बोर्ड अधिकारी और व्यक्तियों को प्रचलित अपराध कानूनों से संस्थाओं द्वारा बचाने का प्रयत्न नहीं किया जायेगा।
- (4.) ऐसे विद्यार्थी जो रैगिंग करने की मानसिकता वाले हैं, उनकी व्यवहार और स्वभाव के आधार पर पहचान की जाये।
- (5.) रैगिंग रोकने के लिए ऐसे उपाय करने की आवश्यकता है, जिससे इसकी पुनरावृत्ति पर अंकुश लगे।

विशेष रूप से ध्यान देने योग्य बातें →

- ① छात्रों, पालकों तथा शिक्षकों को सावधान करना → रैगिंग से अनुशासनहीनता का वातावरण बनता है तथा रैगिंग की किसी भी कार्यवाही को बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। प्रत्येक रैगिंग की घटना का पता लगाकर संबंधित को दण्डित किया जायेगा।
- ② प्रवेश के समय से अभियान → रैगिंग अभियान संस्था में प्रवेश की सूचना के निष्पादन के साथ-साथ प्रारम्भ होना चाहिए। संस्था के प्रास्पेक्टस, प्रवेश फार्म तथा अन्य किसी भी ब्रोशर, स्विचर आदि में यह स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए कि रैगिंग प्रतिबंधित है तथा जो भी रैगिंग में शामिल पाया उसके विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- ③ छात्रों तथा पालकों से वचनपत्र → प्रवेश के आवेदन पत्रों में इस आशय का वचन पत्र लगा होना चाहिए। कि अभ्यर्थी इस तथ्य से गार्फिक है कि संस्था में रैगिंग पूर्णतः प्रतिबंधित है तथा उसमें शामिल पाए जाने पर वह दण्ड का भागी होगा। इसी तरह का वचनपत्र पालक से भी प्राप्त किया जाना चाहिए।

4. नये प्रवेशिकों को मार्ग दर्शन → नये प्रविष्ट छात्रों को विभिन्न समस्याओं में मार्गदर्शन, सहायता तथा जानकारी के लिए कब किससे सम्पर्क करना चाहिए इस आशय की जानकारी उन्हें लीफ़ लेट पर संस्था द्वारा मुद्रित कराकर दी जाये।

5. नव प्रवेशियों को विश्वास में लेकर निर्भय करना → प्रबंधन, कुलपति तथा शैक्षणिक स्टाफ़, नव प्रवेशियों से धूल मिलकर उन्हें विश्वास में लेकर उनके अधिकारों तथा शैगिंग के विरुद्ध उनके कर्तव्यों की जानकारी देते हुए उनमें आत्मविश्वास पैदा करें।

6. संवेदनशील स्थानों पर विशेष निगरानी → जो स्थल शैगिंग की दृष्टि से संवेदनशील हैं अथवा जहाँ पहले घटनाएँ घटित हो चुकी हैं वहाँ विशेष निगरानी रखी जाये।

7. कम्प्युनिटी अवैयरनेस → पोस्टर, पैम्पलेट, नोटिस बोर्ड तथा साइन बोर्ड आदि के माध्यम से स्थानीय समुदाय विशेषतः छात्रों को शैगिंग के दुष्प्रभावों से सावधान किया जाये।

8. दायित्व का निर्धारण → शैगिंग को रोकने में असफलता के संबंध में यह उपधारणा की जायेगी कि संस्था के प्रबंधन, कुलपति तथा अन्य प्राधिकारियों ने अनुशासन बनाए रखने में लापरवाही की है। इसी प्रकार का उत्तरदायित्व होस्टल के बार्डन तथा अदीनक पर भी निर्धारित किया जाये।

9. छात्रावासों में नव प्रवेशियों की सुरक्षा व्यवस्था → नये छात्रों द्वारा आवासित

पुत्रावाग्य / अष्टिवाग्य की आवश्यकता पूर्वक सुरक्षा की जाये।
जहाँ आवश्यकता हो सुरक्षा कर्मचारी पदस्थापित किए जायें।

10. आसुहिक ढाँच की व्यवस्था → रैलिंग की घटनाओं में यदि दोषी व्यक्ति का ब्युल्ट पता नहीं चलता है तो आसुहिक ढाँच की व्यवस्था की जाये ताकि पोटेंशियल रैलिंग पर धक्का बनाया जा सके।

11. साइक्रेडान हमाण परी में टर्नेस → साइक्रेडान हमाण परी में संख्या बढ़ाने वाले छत्र के सामान्य आकार एवं व्यवहार के अनिश्चित उच्च बात का भी उल्लेख किया जाये कि क्या छत्र ने कभी रैलिंग में झगड़ा किया है और निम्नलिखित उच्च उच्च में इसे पकड़ित किया गया है।

12. मान्यता तथा अनुदान पर प्रतिबन्ध → यदि कोई संस्था रैलिंग रैलिंग में विकल रहती है तो राज्य शासन अधुना यू.जी.सी. से प्राप्त होने वाले अनुदान पर नियतकालीन प्रतिबन्ध लगाया जा सकता है तथा विश्वविद्यालय द्वारा एक नियम अवधि के लिए मान्यता प्रतिबन्ध करने पर विचार किया जा सकता है।

13. स्वनात्मक गतिविधियों का आयोजन → विश्वविद्यालय तथा संस्थाओं को शिक्षण सत्र प्रारम्भ होने के पूर्व तथा समथ - व्यसथ पर ऐसी स्वनात्मक गतिविधियों का आयोजन करना चाहिए। जिसमें सीनियर तथा जूनियर, वर्तमान तथा नये छात्रों को एक दूसरे से स्वस्थ वतावरण में मेल - मिलाप का अवसर मिले। सीनियर तथा जूनियर विद्यार्थी सभी ऐसे आयोजनों में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने के लिये प्रोत्साहित हो ताकि वे ऊँच - नीच होने का भेद भिरा सके।

14. संज्ञेय अपराधों की सूचना → यदि रैलिंग की घटनाएँ बरा

से बाहर हो जाती है अथवा रैमिंग के दौरान कोई संज्ञेय अपराध घटित होता है तो इसकी सूचना पुलिस में दी जानी चाहिए। किन्तु पुलिस का संस्था में प्रवेश संस्था प्रमुख अथवा वार्डन के चाहने पर ही होना चाहिए।

→ रैमिंग समाप्त करने के कुछ उपाय →

- (1.) विश्वविद्यालय में प्रवेश के समय प्रत्येक छात्र एवं अभिभावक से अपघ पत्र भरवाना।
- (2.) विश्वविद्यालय परिसर में छात्र / छात्रा व अभिभावक के आतिरेक गैर छात्रों के प्रवेश प्रतिबंधित करना।
- (3.) त्रिकायत पटी द्वारा पीड़ित छात्रों से सूचना प्राप्त करना।
- (4.) प्रत्येक छात्र को विश्वविद्यालय में हर समय पहचान पत्र स्थायी अभिलेख के रूप में रखने की अनिवार्यता।
- (5.) रैमिंग करने वाले दोषी छात्र को संस्था तथा छात्रावास से निष्कासित करना।
- (6.) रैमिंग के दोषी छात्रों को खेल स्पर्धा, युवा महोत्सव, राष्ट्रीय अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों से वंचित करना।
- (7.) रैमिंग यदि अनुसूचित जाती / जनजाति के छात्र की ली गई है तो अनुसूचित जाती / जनजाति निवारण अधिनियम के अन्तर्गत रैमिंग के दोषी छात्र के विरुद्ध सख्त दण्डनात्मक कार्यवाही करना।
- (8.) अभद्र कार्य, गाजी देना, अभद्र संगीत द्वारा स्वयं भारतीयों को 403 संहिता साधारण चोट पहुँचाना / मारपीट करना 323,

394, 395, 396, विधि निरुद्ध परिशेष 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, विधि निरुद्ध आपमानित करने के उद्देश्य से हमला करना या अपराधिक क्रम का प्रयोग करना 355, 356, 357, 358, जान से मारने की धमकी देना 506, 506 बी, महिला छात्राओं को आपमानित करने के सिधे दंगाल करना, अक्षय शक्ती से सम्बोधित करना 509, रैगिंग करने वाले दोषी छात्र को तीन वर्ष के सजा तथा रूपये 50,000 का जुर्माना न्यायालय से दिया जा सकता है।

विभागाध्यक्षों के दायित्व →

- (1.) रैगिंग रोकथाम संबंधी सूचना विश्वविद्यालय के प्रवेश द्वार के निकट स्थायी बोर्ड पर रखना तथा शिकायतों की निष्पक्ष जाँच करना।
- (2.) प्रत्येक रैगिंग की घटना की रिपोर्ट देना तथा प्रत्येक रिपोर्ट पर न्यायसंगत कार्यवाही कर जोसे टाउरेन्स नीति का पालन करना, घटना स्थल पर पहुँच कर त्वरित कार्यवाही करना।
- (3.) कुलपति / विश्वविद्यालय द्वारा गठित समिति के समक्ष प्रकरण प्रस्तुत कर अपराध के अनुरूप दंड सुनिश्चित कर सकेंगे।
- (4.) प्रवेश के समय ही वरिष्ठ एवं कनिष्ठ छात्र / छात्राओं का परिचय तथा स्नातक का आयोजन कर रैगिंग के संबंध में सूचित करना / तथा वरिष्ठ एवं कनिष्ठ छात्र / छात्राओं के बीच आपसी सामंजस्य बनाना।
- (5.) जाँच के साथ ही रैगिंग दोषी छात्र के सिधे अपराध के अनुरूप दंड सुनिश्चित करना।
- (6.) आवश्यकतानुसार जिला प्रशासन, पुलिस को सूचित करने की कार्यवाही करना।

(7.) नवजात एवं वरिष्ठ छात्र / छात्राओं के अभिभावकों को समग्र - समग्र पर सूचित करना ।

(8.) प्रवेश के समग्र कार्य के साथ अभिभावक का एक वचन पत्र भ्रष्टाना ।

Attendance Sheet
Essay Writing Competition on Anti-ragging

[illegible]

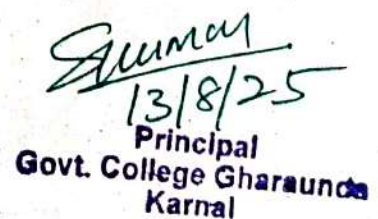
राजकीय महाविद्यालय घरौंडा (करनाल)

रिपोर्ट
एंटी रैगिंग दिवस सेलिव्रेशन

13 अगस्त 2025

राजकीय महाविद्यालय (ज्ञानपुरा) घरौंडा में रैगिंग विरोधी सप्ताह (12-18 अगस्त) मनाया जा रहा है जिसके अंतर्गत आज 13 अगस्त को निबंध प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। प्राचार्य प्रोफेसर (डॉ) सुरेंद्र कुमार नागिया, वरिष्ठ एसोसिएट प्रोफेसर श्री गुरनाम सिंह और एंटी रैगिंग कमेटी कन्वीनर डॉ देवेन्द्र कुमार और सदस्य डॉ सुरेश शर्मा, श्रीमती सुमन लता व श्रीमती गीता के निर्देशन में रैगिंग विरोधी जागरूकता बढ़ाने हेतु अभियान चलाया गया। इस अवसर पर प्राचार्य ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि रैगिंग विरोधी सप्ताह मनाने के पीछे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा रैगिंग के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाने, और सुरक्षित और सम्मानजनक परिसर के वातावरण को बढ़ावा देने के लिए एक पहल है। एसोसिएट प्रोफेसर गुरनाम सिंह ने विद्यार्थियों को एंटी रैगिंग हेल्पलाइन के बारे में जानकारी दी। एंटी रैगिंग कमेटी कन्वीनर डॉ देवेन्द्र कुमार ने विद्यार्थियों को बताया कि महाविद्यालय के सभी विद्यार्थी, यूजीसी एंटी रैगिंग कॉन्फिडेंशियल यूथ सर्वे लिंक <https://www.antiragging.in/youth-survey.php> में भाग लेंगे। इस अभियान में श्री शुभम शर्मा, डॉ. राकेश और श्री अतुल जैन उपस्थित रहे।


ARC 13/8/25
Suman Kataria,
Principal


13/8/25
Principal
Govt. College Gharaunda
Karnal